सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 57 / सो.आ.नि.–393 / 2016
दिनाँकः 02 मई, 2017

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बस्ती तथा मऊ को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः– ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का जनपद स्तर पर पैनल तैयार किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस निदेशालय के पत्र संख्या 773 / सो.आ.नि.–393 / 2016 दिनांक 17–3–2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ब्लाक संसाधन व्यक्तियों (Block Resource Persons) का पैनल तैयार करने हेतु समाचार–पत्रों में दी गयी विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया निम्न निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है :–

2– भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए गत वर्षों की तुलना में अधिकाधिक संख्या में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सोशल आडिट सम्पन्न करने एवं सोशल आडिट की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु प्रत्येक जिले में जनपद स्तर पर **ब्लाक संसाधन व्यक्तियों** (Block Resource Persons) का एक पैनल तैयार किया जाना प्रस्तावित है। पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने का दायित्व सौंपा जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट हेतु ब्लाक संसाधन व्यक्ति को रू0 2000 /– व्यवसायिक शुल्क तथा रू0 500 /– व्यवसायिक यात्रा शुल्क की अनुमन्यता प्राविधानित है। इंगेज किए जाने वाले ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) से कितने ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट में सहयोग प्राप्त किया जाएगा, यह निर्णय निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0 के विवेकाधीन होगा। यह भी सम्भव है कि पैनल में रखे गए किसी BRP को वर्ष में एक भी ग्राम पंचायत में सोशल आडिट को करने का कार्य न सौंपा जा सके। ब्लाक संसाधन व्यक्ति से सोशल आडिट से सम्बन्धित अन्य कार्य भी यथावश्यक निर्धारित व्यावसायिक शुल्क पर लिया जा सकता है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्लाक संसाधन व्यक्ति के रूप में केवल पैनल पर रखे जाने मात्र से तथा बिना कार्य के ब्लाक संसाधन व्यक्ति को कोई देनदारी या हकदारी नहीं बनेगी।

3– ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) के पैनल में सम्मिलित किए जाने हेतु न्यूनतम अर्हता / प्राथमिकता / आयु सीमाः

(i) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।

(ii) जन समस्याओं से संबंधित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो।

(iii) कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्षता हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हो।

(iv) आयु– 01 जुलाई, 2017 को न्यूनतम आयु 45 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष के बीच हो। उक्त आयु वर्ग के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी न मिलने पर न्यूनतम आयु सीमा को शिथिल करने हेतु निर्णय यथासमय निदेशक द्वारा लिया जा सकता है। पर्याप्त अभ्यर्थी से तात्पर्य रिक्ति के कम से कम तीन गुना आवेदनपत्रों की प्राप्ति से है।

(v) अभ्यर्थी उसी जनपद का निवासी हो।

(vi) निदेशालय के सौजन्य से सोशल आडिट से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त अथवा सोशल आडिट की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों तथा मनरेगा जॉबकार्डधारी के परिवार के सदस्यों को वरीयता दी जाएगी।

4– यह स्पष्ट किया जाता है कि **ब्लाक संसाधन व्यक्ति के रूप में पैनल पर रखे गए व्यक्ति की सेवाएं किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं है और न ही भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए उनकी कोई हकदारी होगी। पैनल पर रखे गए व्यक्ति को किसी भी समय बिना नोटिस दिए पैनल से हटाया जा सकता है।**

5– इस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार किया गया पैनल **31 मार्च, 2019** तक के लिए मान्य होगा। पैनेल में रखे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या जनपद में ग्राम पंचायतों की संख्या को 30 की संख्या से भाग देकर जो संख्या आयेगी, उसके बराबर तक हो सकती है। जिलेवार ब्लाक संसाधन व्यक्तियों की अनुमन्य संख्या निदेशालय की वेबसाइट www.socialauditup.in पर उपलब्ध है।

6– ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाने की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक संख्या में ग्राम पंचायतों को सोशल आडिट से आच्छादित किया जाना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त पैनल को तैयार किए जाने पर भी वर्तमान में संविदा पर सेवा प्रदान कर रहे ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर पूर्व शर्तों के अन्तर्गत यथावत् सेवाएं प्रदान करते रहेंगे तथा उनकी सेवाएं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगी। ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में संविदा पर ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था से पूर्णतया अतिरिक्त होगी।

7– उपरोक्तानुसार इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से निम्नांकित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित प्राप्त किए जायेंगे:–

आवेदन पत्र का प्रारूप

अभ्यर्थी की स्व–हस्ताक्षरित फोटो

1– सेवा का नाम : ब्लाक संसाधन व्यक्ति, जनपद ....

2– अभ्यर्थी का नाम : श्री/सुश्री ....

3– जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

4– पिता/पति का नाम :

5– शैक्षिक योग्यता :

6– कम्प्यूटर पर कार्य करने की क्षमता की पुष्टि में प्रमाण–पत्र का विवरण:

7– अनुभव (सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण एवं कृत सोशल आडिट का विवरण) :

8– मूल निवास का पता, विकास खण्ड एवं जनपद सहित :

9– पत्राचार का पता, मोबाइल नं0 तथा ई–मेल (यदि हो) :

अभ्युक्ति– मूल निवास, शैक्षिक योग्यता, अनुभव (सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण/कृत कार्यवाही) की पुष्टि में स्व–प्रमाणित प्रमाण पत्र/अभिलेख की प्रति संलग्न करें। मूल निवास के प्रमाण हेतु निर्वाचन परिचय–पत्र या आधार कार्ड भी मान्य होगा।

संलग्नकों का विवरण :

1– .... 2– .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर व दिनांक

8– भरे हुए आवेदन–पत्र सम्बन्धित जनपद के **जिला विकास अधिकारी कार्यालय** में स्पीड पोस्ट के माध्यम से **दिनांक 20–05–2017** तक कार्यालय अवधि में प्राप्त जायेंगे।

9– प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति, जो निदेशक, सोशल आडिट द्वारा यथासमय गठित की जाएगी, द्वारा उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जाएगा।

अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार ब्लाक संसाधन व्यक्तियों के पैनल पर रखे जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को दैनिक आधार पर सूचीबद्ध करने एवं उन्हें विवरण सहित सुरक्षित रखने का कष्ट करें ताकि **दिनांक 10 जून, 2017** तक पैनल तैयार कराकर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक

पत्रांक 57 (1)/सो.आ.नि.–393/2016

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2– सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(राजवर्धन)
निदेशक

Rks/desktop/gen.letters

उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन
(उ0प्र0 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी)
(सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0)
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787,
E-mail: socialauditup@yahoo.in

संख्याः 44 — **विज्ञप्ति** — दिनांक : 26.04.17

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए गत वर्षों की तुलना में अधिकाधिक संख्या में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सोशल आडिट सम्पन्न करने एवं सोशल आडिट की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु प्रत्येक जिले में जनपद स्तर पर ब्लाक संसाधन व्यक्तियों (Block Resource Persons) का एक पैनल तैयार किया जाना प्रस्तावित है। पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने का दायित्व सौंपा जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट हेतु ब्लाक संसाधन व्यक्ति को रू0 2000/– व्यवसायिक शुल्क तथा रू0 500/– व्यवसायिक यात्रा शुल्क की अनुमन्यता प्राविधानित है। इंगेज किए जाने वाले ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) से कितने ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट में सहयोग प्राप्त किया जाएगा, यह निर्णय निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0 के विवेकाधीन होगा। यह भी सम्भव है कि पैनल में रखे गए किसी BRP को वर्ष में एक भी ग्राम पंचायत में सोशल आडिट को करने का कार्य न सौंपा जा सके। ब्लाक संसाधन व्यक्ति से सोशल आडिट से सम्बन्धित अन्य कार्य भी यथावश्यक निर्धारित व्यावसायिक शुल्क पर लिया जा सकता है।

2– ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) के पैनल में सम्मिलित किए जाने हेतु न्यूनतम अर्हता/प्राथमिकता/आयु सीमाः

(i) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।

(ii) जन समस्याओं से संबंधित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो।

(iii) कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्षता हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हो।

(iv) आयु– 01 जुलाई, 2017 को न्यूनतम आयु 45 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष के बीच हो। उक्त आयु वर्ग के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी न मिलने पर न्यूनतम आयु सीमा को शिथिल करने हेतु निर्णय यथासमय निदेशक द्वारा लिया जा सकता है। पर्याप्त अभ्यर्थी से तात्पर्य रिक्ति के कम से कम तीन गुना आवेदनपत्रों की प्राप्ति से है।

(v) अभ्यर्थी उसी जनपद का निवासी हो।

(vi) निदेशालय के सौजन्य से सोशल आडिट से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त अथवा सोशल आडिट की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों तथा मनरेगा जॉबकार्डधारी के परिवार के सदस्यों को वरीयता दी जाएगी।

3– यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्लाक संसाधन व्यक्ति के रूप में पैनल पर रखे गए व्यक्ति की सेवाएं किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं है और न ही भविश्य में सरकारी नौकरी के लिए उनकी कोई हकदारी होगी। पैनल पर रखे गए व्यक्ति को किसी भी समय बिना नोटिस दिए पैनल से हटाया जा सकता है।

4– इस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार किया गया पैनल 31 मार्च, 2019 तक के लिए मान्य होगा। पैनेल में रखे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या जनपद में ग्राम पंचायतों की संख्या को 30 की संख्या से भाग देकर जो संख्या आयेगी, उसके बराबर तक हो सकती है। जिलेवार ब्लाक संसाधन व्यक्तियों की अनुमन्य संख्या निदेशालय की वेबसाइट www.socialauditup.in पर उपलब्ध है।

5– ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाने की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक संख्या में ग्राम पंचायतों को सोशल आडिट से आच्छादित किया जाना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त पैनल को तैयार किए जाने पर भी वर्तमान में संविदा पर सेवा प्रदान कर रहे ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर पूर्व शर्तों के अन्तर्गत यथावत् सेवाएं प्रदान करते रहेंगे तथा उनकी सेवाएं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगी। ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में संविदा पर ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था से पूर्णतया अतिरिक्त होगी।

6– उपरोक्तानुसार इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से निम्नांकित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:–

आवेदन पत्र का प्रारूप

अभ्यर्थी की स्व–हस्ताक्षरित फोटो

1– सेवा का नाम : ब्लाक संसाधन व्यक्ति, जनपद ....

2– अभ्यर्थी का नाम : श्री/सुश्री ....

3– जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

4– पिता/पति का नाम :

5– शैक्षिक योग्यता :

6– कम्प्यूटर पर कार्य करने की क्षमता की पुष्टि में प्रमाण–पत्र का विवरणः

7– अनुभव (सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण एवं कृत सोशल आडिट का विवरण) :

8– मूल निवास का पता, विकास खण्ड एवं जनपद सहित :

9– पत्राचार का पता, मोबाइल नं0 तथा ई–मेल (यदि हो) :

अभ्युक्ति– मूल निवास, शैक्षिक योग्यता, अनुभव (सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण/कृत कार्यवाही) की पुष्टि में स्व–प्रमाणित प्रमाण पत्र/अभिलेख की प्रति संलग्न करें। मूल निवास के प्रमाण हेतु निर्वाचन परिचय–पत्र या आधार कार्ड भी मान्य होगा।

संलग्नकों का विवरण :

1– .... 2– .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर व दिनांक

7– भरे हुए आवेदन–पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला विकास अधिकारी कार्यालय में स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे जाने चाहिए कि आवेदन पत्र दिनांक 20–05–2017 तक कार्यालय अवधि में अवश्य प्राप्त हो जाएं।

(राजवर्धन)
निदेशक

UP- 116982 दिनांक 28.04.2017 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

दारो
संसू, मोहनला
पीड़ित को ए
महंगा पड़ गय
से झल्लाए दा
बुलाया और
भी दी है।
नगराम के
देवीदीन के
उसकी ससुरा
के सिवा और
2013 को अ
बैनामा उसके
कि जब वह
रुककर खेती
18 अप्रैल को
में बंद उसका
पता चला कि
ने मकान का
अपना ताला
विरोध किया
उसे जमकर
में दी पर पुलि
दारोगा धर्मा कु
दिया और उल्ट
गलौज कर धम
तत्कालीन एस

चौरा
अब
जागरण टीम, त
में पिछले चार
अग्निकांड हो
के घरों में हर दो
रही है। रविवार
की बोरियां एक
में साइकिल प
अवध लाल के
जलने लगे।
इस संबंध में
को कुछ समझ
को। इसके का
रहा है। यह देख
भागे। यह देख
भी अचंभित है।
निर्देश पर गांव
गाड़ियां और क
देर शाम सांसद
पुष्कर और ब्ल
घटना से ग्रामीण
में हैं। ग्रामीण टु
उन्होंने अपने ब
वहीं अब ग्रामीण
ने घरों में रखा स
इनके घरों में
फूलचंद्र, सर्वज
शुक्रवार - गयाद
शनिवार - टुन्नू
भगवती
रविवार - गुमर
अवध लाल
रात भर जाग
को किया ग
में करीब सवा
आग की घटना
अपने घरों के अं
बाल्टियों को रख
से गीला किया है
अंदर और बाहर